क्रम सख्या–95 (घ–3)

पंजीकृत सख्या–य0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाईसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार,05 जून, 2003 ई0
ज्येष्ठ 15, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
सिंचाई विभाग

सख्याः–124 / नौ–1–सिं0 / 2003 / स्थापना / 03 देहरादून, 05, जून, 2003

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान, नियमों और आदेशों को निष्प्रभावी करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''क'' में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल सिचाई विभाग, अभियन्ता सेवा (सिविल / यांत्रिक)
समूह ''क'' सेवा नियमावली, 2003

भाग एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली ''उत्तरांचल सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवा (सिविल/यांत्रिक) समूह ''क'' सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

2. सेवा की प्रास्थिति–

सिंचाई विभाग की उत्तरांचल अभियन्ता सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह ''क'' के पद समाविष्ट हैं ।

3. परिभाषायें–

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है ।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है ।

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है ।

(ङ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ।

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ।

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के अपने–अपने संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप में नियुक्ति आदेश से है ।

(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''क'' सेवा से है ।

(झ) 'मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यवाहक आदेशों द्वारा

नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो, और

(ट) 'भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ।

भाग दो–संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की सख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये ।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य सख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की सख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है:

परन्तु–

(एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो ।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन–भर्ती

5. भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात्–

(1) अधिशासी अभियन्ता सिविल या यांत्रिक–यथास्थिति सिविल या यांत्रिक शाखा में मौलिक रुप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं, जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोंन्नति द्वारा:

(2) अधीक्षण अभियन्ता सिविल या यांत्रिक–यथास्थिति सिविल या यांत्रिक शाखा में मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अधिशासी अभियन्ताओं, जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 15 वर्ष की सेवा (जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रुप में कम से कम छः वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा:

(3) मुख्य अभियन्ता सिविल या यांत्रिक (स्तर–दो)–सिविल शाखा में मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अधीक्षण अभियन्ताओं जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 25 वर्ष की सेवा (जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के रुप में न्यून्तम तीन वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वाराः

(4) मुख्य अभियनता एवं विभागाध्यक्ष (स्तर–एक)–सिविल शाखा में मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे मुख्य अभियन्ताओं (स्तर–दो) जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 27 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा ।

6. आरक्षण–

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग चार–भर्ती की प्रक्रिया

7. रिक्तियों की अवधारणा–

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।

8. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) अधिशासी अभियन्ता, सिविल या यांत्रिक के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर और अधीक्षण अभियन्ता सिविल या यांत्रिक के पद पर मूल में योग्यता के आधार पर भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेंः–

1–प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन ।

2–सचिव, कार्मिक अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।

3–मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग ।

4–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि ।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 एवं मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (स्तर–1) के पद पर पदोन्नति (श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता) के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

1–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन	–	अध्यक्ष
2–प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन	–	सदस्य
3–सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन	–	सदस्य
4–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग की क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 2002, के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं तथा उनसे सम्बन्धित ऐस अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी ।

(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची उस ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी, जैसी कि वह उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग पाँच– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थयीकरण और ज्येष्ठता

9. नियुक्ति–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में रखेगा जिसमें उनके नाम नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन तैयार की गयी सूची में आयें हों ।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जाये ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूची में से अस्थायी या स्थानापन्न रुप में भी नियुक्तियाँ कर सकता है । यदि इस सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है । ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगीं ।

10. परिवीक्षा–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगेः अलगअलग मामलों में परिवीक्षा–अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जायेः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किस भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रुप में की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा–अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है ।

11. स्थाईकरण–

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा–अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा–अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक बताया जाये ।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये ।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थाईकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

(घ) और इस नियमावली के प्रारम्भ में दिनांक से चार वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नियुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति की दशा में–

(एक) अधिशासी अभियन्ता के पद पर, यदि उसने अन्वेषण, नियोजन, परिकल्प, अनुसंधान और प्रशिक्षण से सम्बन्धित किसी एक या अधिक पदों पर चाहे सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता के रुप में या दोंनों पदों पर तीन वर्ष तक कार्य किया हो ।

(दो) अधीक्षण अभियन्ता के पद पर, यदि उसने अन्वेषण, नियोजन, परिकल्प, अनुसंधान और प्रशिक्षण से सम्बन्धित किसी एक या अधिक पदों पर चाहे अधिशासी अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता के रुप में या दोंनों पदों पर तीन वर्ष तक कार्य किया हो ।

परन्तु यह उपबन्ध उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे उक्त तैनाती प्रस्तावित न की गई हो, जिससे कि वह नियम 10 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक अपेक्षा पूर्ण कर सकने में समर्थ हो ।

12. ज्येष्ठता–

पदोन्नति द्वारा मौलिक रुप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

13. वेतनमान–

(1) सेवा के संवर्ग में किसी पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रुप में या स्थायी आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें और जब तक कि सरकारी सेवक पुराने वेतनमान का विकल्प न दें, वेतनमान निम्नलिखित होंगेः–

क्रम सख्या	पद का नाम	वेतनमान (रुपये)
(क)	अधिशासी अभियन्ताः	
1.	साधारण श्रेणी	1000–325–15200
2.	वैयक्तिक वेतनमान	12000–375–16500
(ख)	अधीक्षण अभियन्ताः	
1.	साधारण श्रेणी	12000–375–16500
2.	चयन श्रेणी	14300–18300
(ग)	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	16400–450–20000
(घ)	मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) एवं विभागाध्यक्ष	18400–500–22400

(3) अधिशासी अभियन्ताओं को वैयक्तिक वेतनमान और अधीक्षण अभियनताओं को चयन श्रेणी वेतनमान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों में दिये गये मानदण्ड के अनुसार व्यक्तिगत मामलों में स्वीकृत किया जायेगा ।

14. परिवीक्षा अवधि में वेतन–

(1) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय

वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध होते हुये भी कोई अधिशासी अभियन्ता अपने वर्तमान वेतनमान में तीसरी वेतनवृद्धि आहरित करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने इरिगेशन मैनुअल ऑफ ऑर्डर्स खण्ड–1 के पैरा–15 (6) के अधीन और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन नहर विधि परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली होः

परन्तु यदि किसी अधिशासी अभियन्ता की तीसरी वेतन वृद्धि परिवीक्षा के दौरान उक्त परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के कारण रोकी जाती है, तो वह उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उस मास के, जिसमें सम्बन्धित परीक्षा आयोजित की गई हो, आगामी मास के प्रथम दिवस से स्वीकृत की जायेगी और उस अवधि की, जिसमें वेतनवृद्धि रोकी गई थी, गणना समयमान वेतनवृद्धि के लिये की जायेगी ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा ।

(4) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग सात–अन्य उपबन्ध

15. पक्ष समर्थन–

किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौलिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी

की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

16. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगें ।

17. सेवा की शर्तों में शिथिलता–

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले मं न्यायसंगत आर साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभ्युक्ति या शिथिल कर सकती हैः

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभियुक्ति या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय (आयोग) से परामर्श किया जायेगा ।

18. व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) देखिये]

सिविल संवर्ग

क्रम सख्या	पद का नाम	पद सख्या
1.	अधिशासी अभियन्ता	49
2.	अधीक्षण अभियन्ता	16
3.	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	04
4.	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	01

यांत्रिक संवर्ग

क्रम सख्या	पद का नाम	पद सख्या
1.	अधिशासी अभियन्ता	08
2.	अधीक्षण अभियन्ता	02
3.	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	–
4.	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	–

आज्ञा से,
ओ0 पी0 आर्य,
प्रमुख सचिव ।

In pursuance of the provisions of the clause(3) of Article 318 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 124/IX-1-Sin./2003,/Establishment/03, dated June 05, 2003 for general information:

No. 124/IX-1-Sin./2003/Establishment/03
Dated Dehradun, June 05, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the provisions to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "A"):

THE UTTARANCHAL IRRIGATION DEPARTMENT, ENGINEERS SERVICES (CIVIL/MECHANICAL) GROUP "A" SERVICE RULES, 2003

Part I- General

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called the "Uttaranchal Irrigation Department, Engineering Service (Civil/Mechanical) Group "A" Service Rules, 2003".

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service—

The Uttaranchal Irrigation Department Engineering Service (Civil/Mechanical) is comprising of Group "A" posts.

3. Definitions-

In these rules unless there is anything repugnant in the subject or the context—

(a) "Appointing authority" means the Governor of Uttaranchal;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;

(d) "Constitution" means the Constitution of India;

(e) "Government" means the State Government of Uttaranchal;

(f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the service;

(h) "Service" means the Uttaranchal Service of Engineers (Irrigation Department) Group "A";

(i) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
(j) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II- Cadre

4. Cadre of the Service-

(1) The Strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The strength of the service and the no. of each category of posts therein shall, until orders varying the same are issues under sub-rule (1), be as given in the Appendix :

Provided that –

(a) The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
(b) The Governor may create such additional permanent of temporary posts as he may consider proper.

Part III- Recruitment

5. Source of Recruitment-

Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources, namely-

(1) Executive Engineer, Civil or Mechanical—By promotion from amongst the substantively appointed Assistant Engineers in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed seven years service on the first day of the year of recruitment;
(2) Superintending Engineer, Civil or Mechanical-- By promotion from amongst the substantively appointed Assistant Engineers in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed fifteen years service (including at least six years service as Executive Engineer), on the first day of the year of recruitment;

(3) **Chief Engineer, Civil or Mechanical-Level-II--** By promotion from amongst the substantively appointed Superintending Engineers in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed twenty five years service (including at least three years service as Superintending Engineer), on the first day of the year of recruitment;

(4) **Chief Engineer, Civil or Mechanical-Level-I--** By promotion from amongst the substantively appointed Chief Engineers (Level-II) in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed twenty seven years service on the first day of the year of recruitment;

6. Reservation-

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes and other categories shall be made in accordance with, the orders of the Government I force at the time of recruitment.

Part IV – Procedure for Recruitment

7. Determination of Vacancies-

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes and other categories under rule 6.

8. Process of Recruitment by Promotion-

(1) Recruitment to the post of Executive Engineer, Civil or Mechanical shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit and to the post of Superintending Engineer, Civil or Mechanical, shall be made on the basis of merit through Selection Committee comprising :-

(i) Principal Secretary/Secretary to the Government in Irrigation Department;

(ii) Secretary to the Government in Personnel Department;

(iii) Engineer-in-Chief(Grade-1) Irrigation Department;

(iv) Representative of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Senior Secretary to the Government shall be the Chairman of the Selection Committee.

(2) Recruitment to the post of Chief Engineer Level-II, Chief Engineer (Level-I) & HOD shall be made on the basis of merit through a Selection Committee comprising :-

(i)	Chief Secretary to the Government of Uttaranchal	Chairman
(ii)	Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttaranchal, Irrigation Department	Member
(iii)	Secretary to the Government of Uttaranchal in Personnel Department	Member
(iv)	One Representative of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	Member

(3) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates in accordance with the Uttaranchal Promotion by Selection(on posts outside the purview of Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2002 and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other record pertaining to them as may be considered proper.

(4) The Selection Committee shall consider the case of the candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule(3).

(5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward to the appointing authority.

Part V – Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

9. Appointment–

(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand on the list prepared under sub-rule (5) of rule 8.

(2) If more than one orders of appointments are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

(3) The appointing authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list referred under sub-rule(1). If no candidate borne on this list is available he may make appointments in

such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

10. Probation-

(1) A person appointed by promotion on different categories of posts in the service shall be placed on probation in a period of one year.

(2) The appointing authority may for reasons to be recorded extend the period probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two year.

(3) If it appears to appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post if any.

(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

11. Confirmation–

A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if –

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory.

(b) his integrity is certified.

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(d) And in the case of the probationer appointed after the expiration of four years from the date of commencement of these rules.

(i) On the post of Executive Engineer if he had worked on any one or more of the posts relating to investigation, planning, design and research, and training for three years, whether as Assistant Engineer or Executive Engineer or both.

(ii) On the post of Superintending Engineer if he has worked on any one or more of the posts, relating to investigation, planning, design and research, and training for three years whether as Executive Engineer or Superintending Engineer or both.

12. Seniority -

The Seniority inter se of persons substantively appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

Part VI-Pay etc.

13. Scale of Pay -

(1) The scales of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service whether in substantive or officiating capacity or on a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay shall, until orders varying the same under sub-rule(1) are passed and unless the Government servant posts for the old scale be as follows -

Sl.No.	Designation	Pay Scale (Rs)
(a)	**Executive Engineer :**	
1.	Ordinary Grade	10000-325-15200
2.	Personnel Pay Scale	12000-375-16500
(b)	**Superintending Engineer :**	
1.	Ordinary Grade	12000-375-16500
2.	Selection Grade	14300-18300
(c)	**Chief Engineer (Level-2)**	16400-450-20000
(d)	**Chief Engineer (Level-1) & Head of Department**	18400-500-22400

(3) Personnel Pay Scale to Executive Engineers and Selection Grade to Superintending Engineers shall be allowed to individual cases in accordance with the criteria laid down in the orders of the Government issued from time to time.

14. Pay during Probation-

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the timescale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not account for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, an Executive Engineer shall not be entitled to draw third increment in his present scale until he has passed the Canal Law Examination as required under para 15(6) of the Irrigation annual of Orders, Volume 1 and other Government Order issued in this regard from time to time.

Provided that if the third increment is withheld from an Executive Engineer during the probationary period on account of failure to pass the said Examination, it shall be allowed to him on passing the Examination from the first day of the month following that in which the Examination is held and the period during which the increment was withheld shall count for increment in the time scale.

(3) The pay during probation of a person who has already been holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(4) The pay during probation of a person who is already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government Servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Pay VII – Other Provisions

15. Canvassing-

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. An

attempt on the part of a candidate to on list support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

16. Regulation of other matters-

In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special cadres, the persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to Government Servants serving in connection with affairs of the State.

17. Relaxation in the conditions of Service-

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of Service of persons appointed to the service ensure undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rule applicable to the case by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such dealing with the case in a just and equitable manner.

18. Savings-

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX
[See Rule 4(2)]
CIVIL CADRE

S.No.	Name of the Post	No. of the Posts
1	Executive Engineer	49
2	Superintending Engineer	16
3	Chief Engineer (Level-2)	04
4	Chief Engineer & Head of Department	01

MECHANICAL CADRE

S.No.	Name of the Post	No. of the Posts
1	Executive Engineer	08
2	Superintending Engineer	02
3	Chief Engineer (Level-2)	-
4	Chief Engineer & Head of Department	-

By Order
O P Arya
Principal Secretary